आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 29.10.2026 समय : 0705

<><><><><><><><>

1. दिवाली के त्योहार को देखते हुए उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों से सामग्रियों की कीमतें बाजार में नियंत्रण में रखने का निर्देश दिया।
2. द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में 'टीबी–मुक्त कार्यस्थल पहल' का शुभारंभ किया।
3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना और स्पाइस प्रवाह मिशन के तहत सामुदायिक मसाला उद्यानों की स्थापना की जा रही है।

<><><><><><><><>

दिवाली के त्योहार को देखते हुए उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने संबंधित विभागों से बैठक कर मिट्टी के दीयों, पटाखों, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित दिवाली से जुड़ी सभी सामग्रियों की कीमतें बाजार में नियंत्रण में रखने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दरों से अधिक कीमतों पर सामान बेचने वाले किसी भी व्यापारी या दुकानदार के खिलाफ नियमों के तहत जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संबंधित विभागों को बाजारों में नियमित निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, दिवाली के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए, उपराज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष निरीक्षण अभियान चलाने और मिलावटखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिवाली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या आपात स्थिति से निपटने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के साथ उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार, अग्निशमन सेवा विभाग को सतर्क रहने का

निर्देश दिया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को दुकानदारों और व्यापारी संघों के साथ बैठकें करने तथा आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में 'टीबी–मुक्त कार्यस्थल पहल' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने कार्यस्थलों में टीबी जागरूकता, जांच और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान उपराज्यपाल ने उपस्थित सभी लोगों को 'टीबी–मुक्त भारत की शपथ' भी दिलाई। स्वास्थ्य विभाग की एक प्रस्तुति में टीबी–मुक्त भारत अभियान के तहत द्वीपसमूह द्वारा हासिल की गई प्रगति को रेखांकित किया गया। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, चिह्नित लक्षित आबादी की 100 प्रतिशत मैपिंग पूरी कर ली गई है, जबकि वर्ष दो हजार पच्चीस में अड़तीस ग्राम पंचायतों और अट्ठारह आदिवासी गांवों को टीबी–मुक्त घोषित किया गया था। इस पहल के हिस्से के रूप में, कर्मचारियों के लिए तपेदिक और गैर–संचारी रोगों की जांच भी की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य, सचिव, लोक निवास के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

<><><><><><><><>

लोक निवास में कल पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करने और विभिन्न कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को लंबित मामलों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया। इस बैठक में मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सभी विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी विभागों को अपने–अपने कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर जोर दिया गया। इसके बाद, उपराज्यपाल सचिवालय के सचिव ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। इस अवसर पर आगामी 'जनता दर्शन' कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इसके सुचारू, व्यवस्थित और सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

<><><><><><><><>

पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 'समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा' विषय के साथ मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत, सतर्कता विभाग ने कल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'निवारक सतर्कता और क्षमता निर्माण' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, ज्ञानेश भारती ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारक सतर्कता पर बल दिया। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले जांच अधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को त्वरित निस्तारण और निर्णयों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित विभागीय जांचों को पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने लम्बित मामलों को समाप्त करने के लिए मिशन मोड अपनाने का आग्रह किया। सतर्कता आयुक्त–सह–सचिव डॉ. सचिन शिंदे ने नए परिणाम–उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने और प्रणालीगत कमियों की लगातार पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी इस विषय पर जानकारी साझा किए।

<><><><><><><><>

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार निवारण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पुलिस महानिरीक्षक–सतर्कता गीता रानी वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना और नागरिकों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना था।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना और स्पाइस प्रवाह मिशन के तहत सामुदायिक मसाला उद्यानों की स्थापना की जा रही है। इस सिलसिले में कृषि विभाग ने ग्राम पंचायत पर्णशाला के सहयोग से कल

पर्णशाला स्थित सामुदायिक मसाला उद्यान स्थल पर दालचीनी के पौधों का रोपण किया। इस परियोजना के तहत रंगत में 40 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर के अंत तक दालचीनी के एक लाख पौधे लगाने का है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में संशोधित की गई पंचायतों और नगरपालिका परिषद के मतदाता सूची के अनुसार तीस अक्तूबर तक मतदाता सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण 31 अक्तूबर से दो नवम्बर तक चलेगा। मतदाता सूची का प्रकाशन तीन नवम्बर को किया जाएगा। सुझाव और आपत्तियां तीन से सत्रह नवम्बर तक दर्ज की जा सकती है। सुझावों और आपत्तियों का निस्तारण उन्नीस नवम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूची की तैयारी और मुद्रण 20 से 23 नवम्बर और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चौबीस नवम्बर को किया जाएगा।

उधर, द्वीपसमूह में पंचायत और नगरपालिका परिषद की मतदाता सूची के लिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक कार्यालय द्वारा ग्राम सभाओं के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक मसौदा जारी कर दिया गया है और संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के तहसीलदार और सहायक आयुक्त के कार्यालयों में उपलब्ध करा दिया गया है। इस मतदाता सूची के संबंध में कोई भी सुझाव या आपत्ति 3 से 17 नवम्बर तक फार्म दो में दर्ज कराई जा सकती है।

<><><><><><><><>